राजस्व विभाग के कार्य और संरचना

राजस्व विभाग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है: -

- प्रत्यक्ष कर के कर रोपण एवं उदग्रहण से संबंधित सभी मामले।
- अप्रत्यक्ष करों के कर रोपण एवं' उदग्रहण से सम्बंधित सभी मामले।
- आर्थिक अपराधों की जांच और आर्थिक कानूनों का प्रवर्तन।
- अफीम आदि की खेती, निर्यात और मूल्य निर्धारण के लिए नीति तैयार करना।
- नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना और उसके अवैध क्रय – विक्रय की रोकथाम
- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का प्रवर्तन और विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम(कोफेपोसा) के तहत नजरबंदी की सिफारिश।
- तस्करी और विदेशी विनिमय मैनिपुलेटर्स (संपत्ति का त्याग) अधिनियम, 1976 और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कार्य।
- अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री कर का कर रोपण ।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टांप शुल्क के भुगतान से समेकन / कटौती / छूट से संबंधित मामले।
- गोल्ड कंट्रोल का अवशिष्ट कार्य
- CESTAT से संबंधित मामले।
- भारतीय राजस्व सेवा (समूह – क) और भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह क) का कैडर नियंत्रक ।